संख्या-214/2024/2212/22-2-2023-17(789)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश वर्मा पुत्र श्री हरद्वारी लाल वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12154/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-16.03.2023), दिनांक-13.04.23 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश वर्मा पुत्र श्री हरद्वारी लाल वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 19.11.2005 को पेट्रोल पम्प सीज करने की रंजिश में अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर इंडियन आयल कारपोरेशन के सेल्स आफिसर मंजू नाथ नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-292/06 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 201, 120-बी, 212 तथा धारा-25 व 30ए एक्ट के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 26.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ-लखनऊ के आदेश दिनाँक 11.12.2009 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनाँक 11.03.2015 द्वारा उक्त सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.01.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष, 09 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 03 माह, 15 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 19.11.2005 को पेट्रोल पम्प सीज करने की रंजिश में अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर इंडियन आयल कारपोरेशन के सेल्स आफिसर मंजू नाथ नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समय पूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 41 वर्ष, 02 माह, 16 दिन है। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता आदि सभी तथ्यों पर विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश वर्मा पुत्र श्री हरद्वारी लाल वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः रिट याचिका (क्रिमि0) संख्या-244/2033 पप्पू उर्फ रामनारायन कश्यप व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2023 तथा दिनांक 18.10.2023 एवं मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ में योजित क्रिमिनल मेसलेनियस रिट पिटीशन संख्या-541/2024 राजेश वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश 30.09.2024 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश वर्मा (बंदी संख्या-17145) पुत्र श्री हरद्वारी लाल वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-214/2024/2212(1)/22-2-2023-17(789)/2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी ।
2- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0मि0) संख्या-244/2023 पप्पू उर्फ रामनारायण कश्यप व अन्य बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 28.06.2023
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को रिट याचिका (क्रि0मि0) संख्या-541/2024 राजेश वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक दिनांक 30.09.2024 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-214/2024/2212(2)/22-2-2023-17(789)/2023

दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश वर्मा (बंदी संख्या-17145) पुत्र श्री हरद्वारी लाल वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 19.11.2005 को पेट्रोल पम्प सीज करने की रंजिश में अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर इंडियन आयल कारपोरेशन के सेल्स आफिसर मंजू नाथ नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-292/06 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 201, 120-बी, 212 तथा धारा-25 व 30ए एक्ट के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 26.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ-लखनऊ के आदेश दिनाँक 11.12.2009 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनाँक 11.03.2015 द्वारा उक्त सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.01.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष, 09 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 03 माह, 15 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 19.11.2005 को पेट्रोल पम्प सीज करने की रंजिश में अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर इंडियन आयल कारपोरेशन के सेल्स आफिसर मंजू नाथ नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समय पूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 41 वर्ष, 02 माह, 16 दिन है। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता आदि सभी तथ्यों पर विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश वर्मा पुत्र श्री हरद्वारी लाल वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।